**Application for allotment of Temporary Bhandara/Jagran/Chabbil etc. In the premises of Shri Mata Mansa Devi Temple during the Chaitra Navratra Mela i.e. 19.03.2026 to 27.03.2026.**

भंडारा कमेंटियां निम्न प्रोफार्मा जो कि श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की वेबसाइट www.mansadevi.org. पर उपलब्ध है में दिनांक 20.02.2026 को दोपहर 3:00 बजे तक ई–मेल jaimansadevimaa@gmail.com के माध्यम से आवेदन करेगा/करेगी तथा दिनांक 23.02.2026 को 3.00 बजे ड्रा द्वारा भण्डारा हेतु स्थान साईट पर ही आबंटित किए जाएंगे।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भंडारा कमेटी का नाम | |
| 2. | भंडारा कमेटी का स्थायी पता | |
| 3. | प्रधान / सचिव का फोन नंबर/आधार कार्ड/पैन कार्ड | |
| 4. | ई–मेल | |
| 5. | पंजीकरण नंबर | |
| 6. | पंजीकरण प्राधिकरण का नाम | |
| 7. | भंडारा लगाने की तिथि | |
| 8. | पिछले कितने वर्षों से भंडारा लगाया जा रहा है | |
| 9. | भंडारे में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या | |
| 10. | भंडारे में सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, व रात का खाना (उपरोक्त में से क्या–क्या सर्व किया जाएगा) | |
| 11. | क्या भंडारे के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि की जाएगी। जैसे जागरण, हेल्थ कैम्प का भी विवरण दे। | |
| 12. | अनुमानित खर्च (कुल) | |
| 13. | अन्य विवरण | |

(कृपया सभी दस्तावेजों की प्रति साथ संलग्न करें।)

सभी भंडारा कमेटियां निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का पालन करेंगी:

1. नवरात्र मेला के दौरान केवल दर्शाई गई तिथियों में भंडारा/छब्बील का आयोजन किया जाएगा। उनको बोर्ड द्वारा केवल स्थान उपलब्धता अनुसार मुहैया करवाया जायेगा और बोर्ड के अधिकारियों का फैसला सभी पार्टियों को मान्य होगा।

2. दिए गए परिसर/क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना एवं अग्नि पर नियन्त्रण की व्यवस्था आदि स्वयं संबंधित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

3. मंदिर प्रशासन / बोर्ड द्वारा दी गई जगह / स्थान का प्रयोग केवल भंडारा / छबील लगाने के लिए ही किया जाएगा। उस पर न तो किसी प्रकार की अन्य व्यावसायिक गतिविधि करेंगे और न ही किसी प्रकार का विज्ञापन आदि किया जाएगा।

4. मंदिर प्रशासन / बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं करवाए जाएंगे।

5. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. किसी प्रकार के नुकसान या हानि की भरपाई संबंधित व्यक्ति /पार्टी /प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

7. भंडारा / छबील परिसर में अग्नि सुरक्षा यंत्र का प्रबंध अनिवार्य है, जोकि संबंधित व्यक्ति / पार्टी /प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

8. प्रयोग में लाये जाने वाले स्थान की साफ–सफाई का जिम्मा भी संबंधित व्यक्ति / पार्टी /प्रतिनिधि का होगा।

9. मंदिर प्रशासन /बोर्ड द्वारा दिया गया स्थान /जगह केवल संबंधित व्यक्ति / पार्टी / प्रतिनिधि द्वारा मांगी गई तिथियों के लिए ही केवल भंडारा /छबील हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

10. बिजली व पानी की व्यवस्था भी स्वयं व्यक्ति /पार्टी / प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

11. मंदिर प्रशासन / बोर्ड द्वारा दिये गए स्थान /जगह पर किसी भी रूप में धन/सामान एकत्रित नहीं किया जाएगा।

12. घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग करना वर्जित होगा।

13. सिक्योरिटी राशि 10,000/– (राशि दस हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट) बोर्ड कार्यालय में भंडारा /छबील लगाने हेतु जो लेखाकर के पास जमा करवाई जायेगा, जोकि रिफण्डैबल होगी तथा गठित कमेटी की रिपोर्ट उपरांत वापस की जाएगी।

14. श्री माता मनसा देवी पूजास्थल परिसर में विशेष ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के प्लास्टिक सामान जैसे कैरी बैग, सभी प्रकार के साईज व मोटाई वाले प्लेट, कप, चम्मच, गिलास, कांटा एवं पेय पदार्थ पीने वाली पाईप का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

15. भंडारा /छबील की रसोई 20 प्रतिशत क्षेत्र में होनी चाहिए तथा Servicing क्षेत्र 80 प्रतिशत का होना चाहिए।

16. प्रतिदिन भंडारा चलाने की समय सारणी व कितने श्रद्धालुओं को भंडारा खिलाया गया के बारे में दिए गए स्थान पर किसी साईन बोर्ड पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगें।

17. संबंधित व्यक्ति/पार्टी /प्रतिनिधि में जो भी कर्मचारी कार्यरत होंगे, उनका पूरा ब्यौरा संबंधित पुलिस थाना मनसा देवी, पंचकूला में जमा करवायें, जमा न करवाने की सूरत में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि के लिये व्यक्ति /पार्टी / प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे।

18. भंडारा बनाने एवं वितरित करने वाले प्रतिनिधि/कर्मचारी/वर्कर मैडिकल फिटनैस से संबंधित प्रमाण–पत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल या मेडिकल अधिकारी से बनवाकर रखें। ऐसा कोई प्रतिनिधि/व्यक्ति/वर्कर नहीं होना चाहिए जो किसी प्रकार के संक्रामक या गंभीर रोग से ग्रसित हो। यदि कोई ऐसा पाया गया तो वह तुरंत भंडारा बनाने एवं वितरित करने के कार्य से पृथक किया जाएगा। भंडारा के किसी भी कर्मचारी/प्रतिनिधि/ वर्कर एवं श्रद्धालुओं को वितरित भोजन की गुणवत्ता हेतु जिला प्रशासन /बोर्ड प्रशासन अधिकारी किसी भी समय जांच कर सकते हैं।

19. संबंधित व्यक्ति /पार्टी /प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किसी प्रकार का कूडा–कर्कट/बेकार वस्तुओं इत्यादि के निपटान के लिये बड़े–2 कचरे के डिब्बे का प्रयोग करेंगें तथा उक्त कचरे के डिब्बे साफ सुथरे

होने चाहिये और इसमें डालने वाली बेकार वस्तुओं को समय–2 पर खाली करवाकर साफ–सुथरा करवाना भी सुनिश्चित करेगें।

20. संबंधित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो भोजन/प्रसाद/मिठाई एवं जल/फल इत्यादि का वितरण उनके द्वारा श्रद्धालुओं को किया जाएगा, इसके बारे जिला खाद्य अधिकारी, पंचकूला से अपने 2 खाद्य पदार्थो के सैम्पल समय–2 चैक करवाकर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दिया जाना, सुनिश्चित करेंगें तथा किसी भी प्रकार का बासी, दूषित भोजन एवं जल/फल का प्रयोग व वितरण नहीं करेंगें तथा Food Safety Act में किये गये प्रावधानों की भी पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

21. जो स्थान/संख्या दर्शाई गई है, उसमें भंडारे का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे।

22. उपरोक्त किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उक्त व्यक्ति/ पार्टी/ प्रतिनिधि को दी गई अनुमति किसी भी समय रद्द की जा सकती है या भविष्य में उपरोक्त को अनुमति नहीं दी जाएगी तथा जमा करवाई गई सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी।

23. भण्डारा कमेटियों को Draft of lots के आधार पर जगह आंविटत की जायेगी।

24. जो भण्डारा कमेटियां पिछले 7 साल से श्री माता मनसा देवी पूजास्थल परिसर में भण्डारा लगा रहे है उनको वरीयता दी जायेगी।

25. जगह अलॉट करने के बाद जो भण्डारा कमेटी भण्डारा लगाने में असफल रहती है उसे भविष्य के लिए वर्जित कर दिया जायेगा।

26. जो भण्डारा कमेटियां पूरे नवरात्रों यानि 9 दिन के लिए भण्डारा लगाने हेतु आवेदन करेगा उन्हे ही जगह आवंटित की जायेगी।

27. मेला कमेटी को आबंटित स्थान को स्थानान्तरण का अधिकार नही है।

28. यदि किसी संस्था के एक से अधिक विभिन्न नाम से आवेदन पाए गए तो उनके सभी आवेदन तुरन्त रद्व कर दिये जाएगी।

I______________________________S/oSh.________________________President____________________ vefified that the contents of my above are true and correct to the best of my knowledge. No part of the same is false and nothing has been concealed there from and also solemnly affirms & declares that the terms and conditions shall be adhered fully.

Signature______________________________

Name________________________________

Designation___________________________

President______________________________

Address_______________________________

______________________________________

Phone No._____________________________